न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/92

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट :–**

जगदीश पुत्र लालाराम,
जाति गुर्जर,निवासी जोगड़ावास,
तहसीलमारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

1. अर्जुनराम पुत्र मूलाराम,
2. ओमप्रकाश गोदीपुत्र पुखाराम
3. गीता पत्नी धनाराम
4. नेमाराम पुत्र धनाराम
5. प्रकाश पुत्र धनाराम
6. मुकेश पुत्र धनाराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता गीता
7. पानीदेवी पत्नी पुखाराम
8. मांगीलाल पुत्र मुलाराम
9. मीठालाल पुत्र मुलाराम तमाम जातिगण गुर्जर निवासीगण जोगडावास, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली
10. तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01.06.2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा ग्राम जोगड़ावास के नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.07.1991 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट एंव सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस एंवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जोगड़ावास में खसरा नम्बर 496 रकबा 0.6550 हैक्टयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 659 रकबा 2.6431 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 660 रकबा 0.1644 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 661 रकबा 0.6324 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 662 रकबा 0.9737 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.5059 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.7462 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.2.0108 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 689 रकबा 09485 हैक्टयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 1.5934 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 692 रकबा 1.6060 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 694 रकबा 1.5935 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, एवं खसरा नम्बर 695 रकबा 1.6441 हैक्टयर किस्म चाही सोयम कुल खसरा 13 रकबा 15.7070 हैक्टयर कृषि भूमि है जिनका नामान्तरकरण भरते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम जगदीश के स्थान पर जगीया दर्ज कर दिया। नायब

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तहसीलदार मा0ज0 द्वारा प्रार्थी के दादा मूला एवं अपीलाण्ट के पिता लालू के फौत होने से जैर अपील फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय अपीलाण्ट से विधिक वारिशान एवं उससे संबधित दस्तावेजो के संबध में किसी प्रकार की जांच नही की गई है तथा जैर अपील नामान्तरकरण आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट के राशन कार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मतदान पहचान पत्र रेल्वे विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि समस्त दस्तावेजों में अपीलाण्ट का नाम जगदीश है लेकिन जैर नामान्तरकरण भरते समय ना0तहसीलदार द्वारा जगदीश के स्थान पर बोल–चाल का नाम जगीया पुत्र लालू दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट को इसकी जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रेकर्ड की आवश्यकता होने पर दिनांक 23.02.2021 को पटवार मण्डल जोगडावास गया तब हुई की उसका नाम जगदीश के स्थान पर राजकीय रेकर्ड में जगीया अंकित है। इसलिए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार फरमाकर जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण 1991 दर्ज किया गया था, इसके लगभग 30 वर्ष पश्चात अपील न्यायालय में पेश की है, जो स्पष्टतया म्याद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट काबिल निरस्त है। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात अपीलाण्ट उक्त अनुतोष अपील के जरिये प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली, मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर, अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर पाया गया की अपीलाण्ट का नाम जगदीश पुत्र लालाराम है। नायब तहसीलदार मा0ज0 द्वारा अपीलाण्ट के पिता एवं दादा के फौत हो जाने पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.07.1991 भरते समय संबधित राजस्व अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट के दस्तावेजों की जांच नही की गई एवं न ही सुना गया। जैर अपील प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट जगदीश पुत्र लालाराम एवं जगीया पुत्र लालु एक ही व्यक्ति है लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय बोल–चाल के नाम के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण भरा गया जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.07.1991 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम जोगडावास के नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.07.1991 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक लालु के विधिक वारिसान की जांच कर, दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाण्ट का नाम दुरस्त कर संशोधित नामान्तरकरण भरने हेतु विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 01.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली